(222)

संख्याः 558 /XXIII/2011/01/रिट/2011

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनाँकः 28 जुलाई, 2011।

विषय :– **रिट याचिका संख्या 1865(एम0/बी0)/2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0 बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 912/नौ0विधि/रि0या0सं0–1865/(एस/बी)/2001 दिनांक 01.06.2011 का ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या 199/XXIII/2011/01/रिट/2011 दिनांक 21.03.2011 द्वारा स्वीकृत धनराशि का वित्तीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति तक आहरित न किये जाने के कारण उक्त धनराशि को इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 1865(एम0/बी0)/2001 हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0 बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या 199/XXIII/2011/01/रिट/2011 दिनांक 21.03.2011 द्वारा कुल ₹ 12,72,980/– (₹ बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी, जो कतिपय कारणों से आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा आहरित नहीं की गई, जो कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने पर व्यपगत हो गई है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि0 को जमा मूल धनराशि ₹ 6,82,560/– पर 06 प्रतिशत ब्याज की दर से आगणित धनराशि ₹ 5,90,420/– कुल धनराशि ₹ 12,72,980/– (₹ बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को निम्नलिखित शर्तो के साथ वित्तीय वर्ष 2011–12 में भुगतान किये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. शासनादेश सं0 199/XXIII/2011/01/रिट/2011 दिनांक 21.03.2011 के अनुक्रम में स्वीकृति धनराशि आहरित न किये जाने के सम्बन्ध में हुए विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए यथाशीघ्र शासन को अवगत कराया जायेगा।

2. उक्त प्रकरण में देयक धनराशि ₹ 12,72,980/– (₹ बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) का भुगतान बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित पक्ष उप प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि0, शिमला को करते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

क्रमशः.....2

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें, 800–अन्य व्यय, 06–मा0 न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि एवं 42–अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अशासकीय संख्याः– 73NP/xxvii(5)/2011 दिनाँकः 22 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्याः 558 (i)/XXIII/2011/01/रिट/2011 तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय कुमार, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड हाईकोर्ट कैम्पस, नैनीताल।
5. नोडल अधिकारी, कोर्ट केसेज/जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री जी0 सी0 ठाकुर, उप प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश जनरल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि0, शिमला।
9. आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव